माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

डी.एल.एड. (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम) संचालित करने वाली प्रशिक्षण संस्थाओं (शासकीय एवं अशासकीय) हेतु शाला इंटर्नशिप निर्देश

माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित डी.एल.एड (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम सत्र 2014–15 से प्रभावशील किया गया है। समस्त जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा अशासकीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए डी.एल.एड. पाठ्यक्रम के शाला इंटर्नशिप निर्देश निम्नानुसार है जिसका पालन अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाए–

1. **शालाओं के चयन हेतु समिति का गठन**– इंटर्नशिप कार्यक्रम हेतु शालाओं के चयन के लिए डाइट (नोडल संस्था) स्तर पर एक जिला स्तरीय समिति का गठन निम्नानुसार किया जाना है :–

1. अध्यक्ष– जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय
2. सचिव – प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
3. सदस्य – जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र
4. सदस्य – पूर्व सेवा कालीन (डी.एल.एड.) प्रभारी, डाइट
5. सदस्य – अशासकीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (प्राचार्य डाइट द्वारा एक मनोनीत सदस्य)

2. **समिति के उत्तरदायित्व** –

- जिला परियोजना समन्वयक अपने जिले की प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं की ग्रेडवार, कक्षावार दर्ज छात्र संख्या की सूची उपलब्ध कराएगें।
- प्राचार्य डाइट छात्राध्यापक की संख्या के मान से जिले की शासकीय एवं अशासकीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए आबंटित शालाओ की सूची तैयार कर समिति के समक्ष रखेंगे।
- जिला शिक्षा अधिकारी एवं डाइट प्राचार्य, इंटर्नशिप हेतु आबंटित शालाओं की संयुक्त हस्ताक्षर से सूची जारी करेगें।

3. **छात्र अध्यापकों की सूची का प्रेषण**– अशासकीय संस्थाएँ प्रवेशित छात्राध्यापकों की सूची नोडल संस्था (डाइट) को निर्दिष्ट समय सीमा में उपलब्ध करायेगे।।

4. **शालाओं के चयन का आधार**–

- इंटर्नशिप के लिए विभिन्न प्रकार के शाला अनुभव हेतु निम्नानुसार दो प्रकार की शालाओं का चयन किया जाना है–

(अ) प्रथम प्रकार की शालाएं- ए एवं बी ग्रेड की शालाएं

(ब) द्वितीय प्रकार की शालाएं- सी, डी एवं ई ग्रेड की शालाएं

- चयनित शाला की प्रत्येक कक्षा में बच्चों की दर्ज संख्या 10 से कम नही होनी चाहिए। 10 से कम दर्ज बच्चों की स्थिति में शाला की **उस कक्षा** का चयन नही किया जाए।

5. **शालाओं का चयन** –

- इंटर्नशिप कार्यक्रम हेतु प्रथम वर्ष के लिए प्राथमिक एवं द्वितीय वर्ष के लिए माध्यमिक शालाओं का चयन किया जाए।
- शालाओं की संख्या का चयन संस्था में प्रवेशित छात्राध्यापकों की संख्या के आधार पर किया जायेगा।
- शिक्षण अभ्यास हेतु को–टींचिग पद्वति एवं निर्माणवाद पर आधारित पाठ् योजनाओं का समावेश किया जाए जिसमें एक मेंटर शिक्षक (नियमित शिक्षक) का चयन करना अनिवार्य है।

6. **इंटर्नशिप कार्यक्रम**– पाठ्यक्रम अनुसार 70 दिवसीय शाला इंटर्नशिप कार्यक्रम के निम्नानुसार 3 चरणों को विधिवत् पूर्ण करवाना है–

चरण	कार्यक्रम एवं गतिविधियाँ	दिवस
प्रथम	इंटर्नशिप की पूर्व गतिविधियाँ (तैयारी)	30
द्वितीय	इंटर्नशिप दौरान गतिविधियाँ (शाला का वास्तविक अनुभव)	40
तृतीय	इंटर्नशिप के पश्चात् की गतिविधियाँ (समालोचनात्मक चिंतन)	–

इंटर्नशिप कार्यक्रम के पश्चात संकलित प्रतिवेदन संस्थान द्वारा तैयार किया जाएगा जिसे नोडल संस्था को भेजा जाना है। संपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन संस्था प्रमुख द्वारा सुनिश्चित किया जाए।

7. सभी संस्थानों द्वारा आंतरिक मूल्यांकन, रूब्रिक (Rubric) आधारित मूल्यांकन प्रपत्र पर किया जाना है। सभी संस्थान रूब्रिक आधारित मूल्यांकन प्रपत्रों का रिकार्ड संधारित रखेंगे। रूब्रिक आधारित मूल्यांकन प्रपत्र एवं आवश्यक मार्ग–दर्शन जिले की नोडल संस्था डाइट से प्राप्त कर सकते हैं।

8. सभी संस्थान आंतरिक मूल्यांकन का रिकार्ड माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल को मण्डल द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर भेजेंगे।

9. समय सीमा का पालन सुनिश्चित करना प्रत्येक संस्था प्रमुख का दायित्व होगा।

10. निर्धारित शाला इंटर्नशिप अवधि के दौरान सभी निर्धारित शालाओं की मानिटिरिंग राज्य शिक्षा केन्द्र तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के फैकल्टी द्वारा की जाएगी। निर्धारित मापदंडो का पालन नही पाए जाने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

प्रभारी विद्योचित
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल